फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
प्रशान्त पुत्र मानाराम प्रवीण पुत्र मानाराम कुम्हार नाबालिक जरिये कुदरती वली पिता मानाराम पुत्र कुनणा कुम्हार नि. आसनपुरा		कुनणा पुत्र नानूराम जाति कुम्हार निवासी आसनपुरा वगैरह

राजस्व वाद – बाबत घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद नम्बर 79/2020 **RCMS No.** 2020/00158

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
13.8.2020	वकील वादी द्वारा यह वाद बाबत घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनॉक 17.09.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
17.9.2020	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 6.11.2020 को पेश हो।	
6.11.2020	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 23.12.2020 को पेश हो।	
23/12/2020	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 17.2.2021 को पेश हो।	
17/2/2021	[illegible]	

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.12 17:59:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)